



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10112022-240189
CG-DL-E-10112022-240189

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 70]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 10, 2022/कार्तिक 19, 1944

No. 70]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 10, 2022/KARTIKA 19, 1944

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 2022

आ.अ. 70(अ).—यतः, उत्तर प्रदेश राज्य से लोक सभा में उस राज्य के 21-मैनपुरी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित, श्री मुलायम सिंह यादव का स्थान उनकी मृत्यु होने के परिणामस्वरूप दिनांक 10 अक्तूबर, 2022 को रिक्त हो गया है; और

2. यतः, इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन कराया जाना है;

3. अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 149 की उपधारा (1), तथा धाराओं 30 और 56 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग, एतद्वारा –

(अ) उत्तर प्रदेश राज्य में उक्त 21-मैनपुरी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि वह 10 दिसम्बर, 2022 (शनिवार) से पूर्व तथा उक्त अधिनियम के और तद्वीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार लोक सभा में उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित करें;

(आ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में –

(क) नाम निर्देशन करने की अन्तिम तारीख : 17 नवम्बर, 2022 (गुरुवार);

(ख) नाम निर्देशनों की संवीक्षा की तारीख : 18 नवम्बर, 2022 (शुक्रवार);

(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख : 21 नवम्बर, 2022 (सोमवार);

- (घ) वह तारीख, जिसको यदि आवश्यक हुआ तो, : 5 दिसम्बर, 2022 (सोमवार)
मतदान होगा
- (ङ) वह तारीख, जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न : 10 दिसम्बर, 2022 (शनिवार)
करा लिया जाएगा
नियत करता है; और
- (इ) 07:00 बजे पूर्वाह्न से 06:00 बजे अपराह्न तक का समय, ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उपरोक्त विनिर्दिष्ट तारीख को, मतदान होगा।

[फा. सं. 100/उ0प्र0-लो0स0/3/2022]

आदेश से,

अमित कुमार, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th November, 2022

O.N. 70(E).—WHEREAS, the seat of Shri Mulayam Singh Yadav, in the House of the People, elected from 21-Mainpuri Parliamentary Constituency in the State of Uttar Pradesh has become vacant on 10th October, 2022 by the reason of his death ; and

2. **WHEREAS**, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;

3. **NOW, THEREFORE**, in pursuance of sub-section (1) of Section 149, and Sections 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby:-

(A) **calls upon** the said 21-Mainpuri Parliamentary Constituency in the State of Uttar Pradesh to elect, before the **10th December, 2022 (Saturday)**, and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person for the purpose of filling the said vacancy in the House of the People;

(B) **appoints**, with respect to the said election:-

- the 17th November, 2022 (Thursday), as the last date for making nominations;
- the 18th November, 2022 (Friday), as the date for the scrutiny of nominations;
- the 21st November, 2022 (Monday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
- the **5th December, 2022 (Monday)**, as the date on which a poll shall, if necessary, be taken;
- the 10th December, 2022 (Saturday), as the date before which the election shall be completed; and

(C) **fixes the hours** from **07:00 am to 06:00 pm** as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above, for the election.

[F. No. 100/UP-HP/3/2022]

By Order,

AMIT KUMAR, Secy.